न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 91/2021 (2021/00091) जिला–अजमेर

हरकरण पुत्र श्री बोदू जाति रेगर निवासी ग्राम बबायचा तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर
3. गोरधन पुत्र भागीरथ
4. रामदेव पुत्र भागीरथ
5. शंकर पुत्र काना
6. जीवण पुत्र काना

समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम बबायचा तहसील व जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 12–02–2021
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2018
बउनवान हरकरण बनाम राज0 सरकार व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री सुभाष चन्द गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 17–08–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 131 के तहत नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–02–2021 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात ग्राम बबायचा तहसील अजमेर में स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 232 रकबा 15–10–00 बीघा इसके नये खसरा नम्बर 159 रकबा 0.77, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.90, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.54 व खसरा नम्बर 259/1879 रकबा 0.09 कुल किता 7 कुल रकबा 2.51 हैक्टर है। इस आराजी का पुराना खसरा नम्बर 232 का नक्शा सन् 1970–71 के अनुसार सही बना हुआ है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की विवादित आराजियात पुराना खसरा नम्बर 232 के नए खसरा नम्बरान 159, 160, 161, 165, 166, 249 व 259/1879 का जो नया नक्शा सन् 1982–83 का बना हुआ है वह त्रुटिपूर्ण है उसमे अपीलार्थी की उक्त आराजी का रकबा करीब एक बीघा कम कर दिया गया । नए नक्शे में अपीलार्थी की आराजियात खसरा नम्बर 302/1770, 303, 303/1771, 304/1798 व 304 मे करीब एक बीघा जमीन अपीलार्थी की चली गई है हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट बिना मौका जांच किये प्रस्तुत की है मौके पर नाप होने पर ही सही जानकारी हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जबकि तहसीलदार ने अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया था कि नए नक्शें में पुराने नक्शे के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता है तथा दुरूस्ती आदेश प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपलार्थी की अपील स्वीकर कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–2–2021 निरस्त कर अपीलार्थी की आराजी पुराना खसरा नम्बर 232 रकबा 15–10–00 का नक्शा सन् 1971–72 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के नए खसरा नम्बर 159, 160, 161, 165, 166, 249 व 259/1879 का जो नया नक्शा सन् 1982–83 को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। धारा–136 तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को व पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में नक्शा दुरूस्ती धारा 136 में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अन्य सहखातदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है जिससे सहखातेदारों के हित प्रभावित होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–02–2021 विधिसम्मत है। अतः

अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी का नक्शा दुरूस्त कराये जाने हेतु अन्य पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी की आराजी पुराना खसरा नम्बर 232 रकबा 15–10–00 का नक्शा सन् 1971–72 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के नए खसरा नम्बर 159, 160, 161, 165, 166, 249 व 259/1879 का जो नया नक्शा सन् 1982–83 को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह उल्लेखित नहीं किया है कि अपीलार्थी के किस खसरा नम्बरान मे कितनी भूमि कम हुई है तथा किस पड़ौसी खातेदार के हिस्से में कितना रकबा चला गया है तथा किस दिशा की भूमि किस पड़ौसी खातेदार के हिस्से में चली गई है इस संबंध में पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया है। इससे स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी की किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि किस खातेदार के हिस्से में चली गई है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है किन्तु किसी भी पक्षकार का कोई सहमति पत्र बहस के दौरान प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–02–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–02–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2018 हकरण बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर